

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री किशनाराम पुत्र धर्माजी, जाति- पुरोहित, निवासी-चडुआल, तहसील व जिला- सिरौही
बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी, पंचायत समिति सिरौही, जिला- सिरौही
2. श्री शान्तिलाल पुत्र धनाजी, जाति-पुरोहित, निवासी-चडुआल, तहसील व जिला-सिरौही
3. श्रीमती भागुदेवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल, तहसील व जिला-सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 13/2018

“निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेश मेघवाल, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से

--: निर्णय :-

दिनांक 08 अक्टूम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र धर्माजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी श्री शान्तिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का पंचायत संकल्प संख्या 3 दिनांक 24.10.2014 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश मेघवाल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अलग-अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) Page 268 & 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) Page 572 में अंकित ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के कब्जे भोगवटे का एक भूखण्ड ग्राम चडुआल के माताजी मंदिर के सामने पुश्तैनी कब्जा शुदा आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जिसके

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



तीन तरफ परकोटा बना हुआ है, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में पडत भूमि, उत्तर में खाली पंचायत की आबादी शुदा भूमि व दक्षिण में खाली भूखण्ड है तथा नाप पूर्व-पश्चिम 88 फीट व उत्तर-दक्षिण 60 फीट कुल क्षेत्रफल 5280 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी पिछले 60 वर्षों से मौके पर काबिज है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर 2400 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को जारी करवाया है। जो पंचायत आम चुनाव, 2015 की आचार संहिता से पूर्व की तारीख में गुपचुप तरीके से जारी कवाया है। यह कि उक्त नियम 157(1) के तहत केवल पुराने आवासीय गृह का नियमन करने का ही प्रावधान है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 से संबंधित भूखण्ड पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ नहीं था एवं न ही मौके पर कोई पुराना आवासीय मकान बना हुआ है। मौके पर प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि खुली व खाली पडी है, फिर भी अप्रार्थी संख्या-2 ने 50 वर्ष पुराना मकाना बना हुआ होना बताते हुए ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर खुली व खाली पडे भूखण्ड का नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त किया है, जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी करने से ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 में चतुर्दशी पूर्व में सरजुदेवी पत्नि धीनाराम पुरोहित का मकान, पश्चिम में दिनेश कुमार पुत्र कसनाराम का मकान, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में पानी निकासी की गली होना अंकित किया है व नाप पूर्व-पश्चिम 60 फीट व उत्तर-दक्षिण 40 फीट कुल 2400 वर्गफीट अंकित किया है, जबकि मौके पर इस नाप व चतुर्दशी का कोई मकान स्थित नहीं है व न ही मौके पर उक्त नाप व चतुर्दशी का कोई भूखण्ड अस्तित्व में है, बल्कि मौके पर समतल मैदान के रूप में भूमि पडी हुई है। अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की 15x60 फीट भूमि भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायत को प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की उक्त 15x60 भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या-2 ने अवैध व कुटरचित तरीके से ग्राम पंचायत तंवरी के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर पंचायत आम चुनाव, 2015 की आचार संहिता के दौरान बेक डेट में पट्टा जारी करवाया है, जो आरम्भतः शून्य है। अप्रार्थी संख्या-2 ने पट्टा बनाने हेतु पंचायत में किस तारीख को आवेदन किया है वह तारीख अंकित नहीं है तथा न ही आवेदन पत्र में भूखण्ड का नजरी नक्शा, नाप व चतुर्दशी अंकित है। पंचायत की मिसल में जिन गवाहों के शपथ बयान संलग्न है वह बयान तस्दीकशुदा नहीं है। जब अप्रार्थी संख्या-2 की उम्र ही 40 वर्ष है तो उसका 50 वर्ष पुराना मकान व कब्जा होना कैसे संभव हो सकता है। यदि वास्तव में अप्रार्थी संख्या-2 का मौके पर कोई पुराना मकान बना हुआ होता तो उस मकान के बिजली व पानी कनेक्शन के बिल अप्रार्थी पक्ष द्वारा अवश्य प्रस्तुत किये जाते जो कि अप्रार्थी पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किये

.....पेज तीन पर

श्री. विनायक
शिवोही (पञ्च.)



है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, तंवरी के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर खाली पडी भूमि पर 50 वर्ष पुराना मकान बना हुआ होना बताते हुये कुटरचित तरीके से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि का पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 10.5.2017 से अप्रार्थी संख्या-3 को विक्रय किया गया है, उक्त पंजीकृत बेचान दस्तावेज में भी प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि मौके पर आवासीय भूखण्ड होना अंकित किया है, उक्त पंजीकृत दस्तावेज में आवासीय मकान बना हुआ होने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि खाली पडी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को इस आशय का नोटिस दिया कि 15 फीट तक प्रार्थी ने निर्माण कर रखा है, यदि प्रार्थी ने अप्रार्थी के भूखण्ड पर निर्माण किया होता तो अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज करवाई जाती है, इससे यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि में प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे की 15x60 भूमि भी सम्मिलित है। अप्रार्थी संख्या-3 उक्त अवैध व शून्य विक्रय विलेख के आधार पर मौके पर निर्माण करना चाहता है, जबकि मौके पर ऐसी कोई भूमि अस्तित्व में नहीं है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान- अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी) के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों की ताईद करते हुये यह व्यक्त किया कि मौके पर अप्रार्थी शांतिलाल का पुराना आवासीय मकान नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। ग्राम पंचायत, तंवरी के सरपंच व सचिव द्वारा मौतबिरान के समक्ष दिनांक 30.7.2018 को प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि का मौका देखा था जिसकी मौका फर्द दिनांक 30.7.2018 भी जवाब के साथ प्रस्तुत की है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि मौके पर कोई मकान व निर्माण नहीं है। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति की मांग थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा जो भूखण्ड अप्रार्थी संख्या-2 से क्रय किया गया है उस भूखण्ड का पट्टा नियम विरुद्ध होने से ग्राम पायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 को निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है एवं न ही प्रदान की जा सकती है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या- 3 को हैरान व परेशान करने की नियत से मनगढ़त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या-3 के पट्टे व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में पानी निकासी की गली को छोड़कर श्री रायगुर पुरोहित समाज सेवा समिति चडूआल को धर्मशाला के निर्माण हेतु जिला कलेक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक प.12(3)(172)राज./2002/7450-56 दिनांक 26.12.2002 के द्वारा आवंटित

....पेज चार पर

श्री. विद्वान अधिवक्ता
सिरौही (राज.)



भूमि है जिसके तीन तरफ परकोटा बना हुआ है जिसका नाप व चतुर्वर्षी पूर्व दिशा में श्री रायगुर पुरोहित समाज सेवा समिति चडुआल को आवंटित भूमि में समिति के सुविधार्थ छोड़ा गया रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता जिस पर सीमेंट सडक बना हुआ है, उत्तर दिशा में पानी निकासी की गली व आगे शांतिलाल धनाजी पुरोहित का पट्टेशुदा भूखण्ड जिसको जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 के द्वारा क्रय किया गया है एवं दिनेश पुत्र कसनजी पुरोहित का कब्जेशुदा भूखण्ड है व दक्षिण दिशा में आंगनवाडी भवन एवं खाली भूखण्ड है तथा नाप पूर्व 70 फीट, पश्चिम 90 फीट, उत्तर 130 फीट व दक्षिण 120 फीट कुल क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड श्री रायगुर पुरोहित समाज सेवा समिति चडुआल को धर्मशाला हेतु आवंटित 2 बीघा भूमि का भाग है। प्रार्थी कसनाराम ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि से लगते हुए मौके पर करीब 1 बीघा से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी कसनाराम का मौके पर 60 वर्ष पुराना कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी कसनाराम स्वयं अतिक्रमी है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि में प्रार्थी कसनाराम की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 के पिता का कई वर्षों पुराना कब्जा था जिस पर अपने मवेशी बांधते थे व घास फूस व जलाउ लकडिया आदि रखते थे, इस भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या-2 के पिता का कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था। जिसका ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि में प्रार्थी के कथित कब्जे भोगवटे की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है, बल्कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 की भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के पिता के पुराने कब्जे भोगवटे की थी जिस पर केलुपोश मकान बना हुआ था। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 को रुपयों की आवश्यकता होने से अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 से संबंधित भूखण्ड का कीमतन अप्रार्थी संख्या-3 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 के द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या-3 ने भूखण्ड की कीमत राशि अदा कर अप्रार्थी संख्या-2 से भूखण्ड पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय कर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया था व अप्रार्थी संख्या-3 सद्भाविक क्रेता है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 के पिता का पुराना कच्चा केलुपोश मकान गत वर्ष 2017 में अतिवृष्टि के दौरान क्षतिग्रस्त होकर ढह गया था। मौके पर गिरे कच्चे केलुपोश मकान के एक हिस्से की दीवार आज भी मौजूद है। यह कि अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा मई, 2018 में उक्त रजिस्टर्ड क्रय शुदा भूमि पर मकान बनाने का विचार किया और ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया, लेकिन ग्राम पंचायत तंवरी ने अब तक निर्माण स्वीकृति जानबूझ कर प्रदान नहीं की है तथा मौके से अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा ढहे हुए केलुपोश मकान का मलबा हटाने के बाद प्रार्थी ने खाली भूखण्ड होने का तथ्य अंकित कर मिथ्या कथन के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि वर्ष 1995 में ग्राम पंचायत द्वारा श्री

....पेज पांच पर

श्री. विद्या कश्यप
बिरोही (पंच.)



छगनलाल हीराजी लुहार को जारी पट्टा संख्या 16 भूखण्ड संख्या 16 के दक्षिण दिशा में स्थिति आबादी भूमि पर श्री धन्नाराम पुरोहित का पुराना कब्जा था। उक्त श्री छगनलाल का भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्रीमती सरजूदेवी पत्नि धनाजी पुरोहित द्वारा दिनांक 26.5.2009 को क्रय किया था जिसके दक्षिण दिशा में गोपालराम पुत्र धनाजी पुरोहित का भूखण्ड होना अंकित है। गोपालराम एवं शांतिलाल दोनों सगे भाई होने से उक्त कब्जेशुदा भूखण्ड मय केलुपोश मकान का दोनों भाईयों की सहमति से श्री शांतिलाल पुत्र धनाजी पुरोहित के नाम से ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमानुसार पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को जारी किया गया है। जिसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में सरजूदेवी पत्नि धन्नाराम पुरोहित का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड, दक्षिण में पानी निकासी की गली व आगे श्री रायगुर पुरोहित समाज सेवा समिति चडुआल को आवंटित भूमि, पूर्व दिशा में रास्ता व पश्चिम दिशा में दिनेश कुमार कसनानी का कब्जेशुदा भूखण्ड है तथा नाप पूर्व-पश्चिम 40 फीट व उत्तर-दक्षिण 60 फीट कुल 2400 वर्गफीट है। उक्त चतुर्दशी के भूखण्ड मय केलुपोश मकान के दक्षिण दिशा में श्री रायगुर सेवा समिति को आवंटित भूमि की देखरेख प्रार्थी किसनाराम पुरोहित करते थे जो इस समिति के संस्थापक व कोषाध्यक्ष थे। प्रार्थी किसनाराम पुरोहित के पुत्र दिनेश कुमार का अप्रार्थी शांतिलाल के मकान के पश्चिम दिशा में कब्जा था परन्तु पट्टा बनाते वक्त चतुर्दशी की गलती की वजह से दक्षिण दिशा में दिनेश कुमार का कब्जा बता देने से इस मानवीय भूल को आधार बनाकर बिना किसी हक हकूक के पुरोहित समाज को आवंटित भूमि को अपनी भूमि बताकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र मंगढत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अधिकतम 300 वर्गगज के क्षेत्रफल तक का पट्टा जो इस नियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 50 वर्षों के दौरान निर्मित गृह का 200/- रुपये में पट्टा जारी किया जा सकता है। गृह का मतलब छत ढका हुआ भूभाग ही नहीं होता है जिसमें सिर्फ इंसान निवास करते हो, बल्कि गृह वह होता है जिसके इंसानों के साथ साथ पालतु मवेशी बांधन व इंसानों के दैनिक उपयोग की सामग्री जिसमें घास फूस, जलाउ लकड़ी आदि रखने की जगह यानि गृह का आंगन भी घर का ही हिस्सा होता है। मौके पर केलुपोश मकान मय भूखण्ड होने से ग्राम पंचायत, तंवरी ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, तंवरी ने पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के कथित कब्जे के भूखण्ड के मालकी स्वामित्व व आधिपत्य के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, प्रार्थी स्वयं ने प्रश्नगत पट्टे की भूमि के पास बहुत बड़े भूभाग पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है। प्रार्थी द्वारा जो परकोटा होना बताया जा रहा है वह आंगनवाडी द्वारा निर्मित परकोटा है जो सार्वजनिक है। प्रार्थी स्वयं का 60x120 वर्गफीट का मकान ग्राम चडुआल में अन्य स्थान पर बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में चतुर्दशी गलत अंकित की है, जिसमें

....पेज छः पर

श्री. निराला कलकण्ड
पुरोही (पञ्च.)



भूखण्ड के उत्तर दिशा में रास्ता बताया गया है, जबकि उत्तर दिशा में फालुदेवी नारायणलाल पुरोहित का रजिस्टर्ड शुदा भूखण्ड है। इस तरह जिस भूमि को प्रार्थी अपने मालकी स्वामित्व की बता रहा है वह गोचर में स्थित है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, तंवरी व प्रार्थी आपस में मिले हुये है, पंचायत ने दिनांक 30.7.2018 को प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड का मौका किसके आदेश से और क्यों देखा? यह स्पष्ट नहीं किया है। ग्राम पंचायत, तंवरी व प्रार्थी दोनों मिलकर अप्रार्थी संख्या-3 को येनकेन प्रकार से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त DNJ(Raj.)1999 Page 437 & 781 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि पट्टा वर्ष 2014 में जारी किया गया है तथा पट्टा जारी होने के 3 वर्ष बाद प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विलम्ब से प्रस्तुत किया है, इसलिये उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के कथनों के जवाब में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि नियम विरुद्ध एवं बिना अधिकारिता के जारी पट्टों के संबंध में निगरानी किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके लिये पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे।

(4) बहस के दौरान उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने यह अनुरोध किया कि प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय हेतु निर्णय से पहले न्यायालय पीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि का मौका निरीक्षण किया जाये। जिस पर इस न्यायालय पीठ द्वारा दिनांक 25.9.2018 को प्रश्नगत पट्टे की भूमि का मौका निरीक्षण किया गया।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति-पुरोहित, निवासी- चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का पंचायत संकल्प संख्या 3 दिनांक 24.10.2014 के अनुसरण में पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल द्वारा उक्त पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 (जो उप पंजीयक कार्यालय, कालन्द्री में पंजीकृत है) के द्वारा अप्रार्थी श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल को कीमतन विक्रय किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी ...पेज सात पर

शक्ति. निरस्त पट्टा
शिवोही (पञ.)



किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

- (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-
- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि में प्रार्थी के कथित कब्जे की भूमि भी सम्मिलित हो। प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 के पास पुराने कब्जे भोगवटे की भूमि स्थित होने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने भी मौके पर पुराना गृह बना हुआ होने के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा बिजली बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित हो सके है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि पर पुराना आवासीय गृह बना हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 की फोटो प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 में पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि को आवासीय भूखण्ड होना अंकित किया है एवं इस भूखण्ड पर केलुपोश मकान बना हुआ होने या निर्माण किया हुआ होने का तथ्य पंजीकृत विक्रय विलेख में अंकित नहीं है। इस न्यायालय पीठ द्वारा दिनांक 25.9.2018 को पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि का मौका निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि मौके पर केलुपोश मकान बना हुआ होने के कोई आलामत मौजूद नहीं है एवं मौके पर भूखण्ड खाली पडा है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि के मौके पर केलुपोश मकान बना हुआ नहीं है एवं मौके पर भूखण्ड खाली पडा है। इस न्यायालय पीठ द्वारा वक्त मौका निरीक्षण प्रार्थी किशनाराम उपस्थित हुआ, जिसने बताया कि उसका आवासीय मकान ग्राम चडुआल में ग्राम की आबादी में स्थित है तथा पट्टा संख्या 42 के पास स्थित भूभाग व पट्टा संख्या 42 की भूमि में से 15x60 वर्गफीट भूमि पर उसका पुराना कब्जा है, लेकिन मौके परपेज आठ पर

निर्देश (पञ्च.)



प्रार्थी किशनाराम द्वारा अपने कथित कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस न्यायालय पीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि के मौका निरीक्षण के वक्त यह भी पाया गया कि प्रार्थी किशनाराम ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि के पास बहुत बड़े भू भाग पर मौके पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी किशनाराम स्वयं अतिक्रमी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, तंवरी ने खाली भूखण्ड का अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत, तंवरी को आर्थिक क्षति हुई है। इस न्यायालय पीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि का मौका निरीक्षण करने पर ऐसा आभास हुआ कि ग्राम पंचायत, तंवरी ने अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल द्वारा अतिक्रमित भूमि (जो मौके पर खाली भूखण्ड के रूप में है) का अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) के अनुसार ऐसी अतिक्रमित भूमि को भूमि की प्रचलित बाजार कीमत अनुसार राशि अतिचारी से वसूल कर अतिचारी को भूमि आवंटित की जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अनुसार जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो या जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलामी उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक डंग नहीं होगा, तो ऐसी आबादी भूमि का प्रचलित वर्तमान बाजार दर पर अंतरण किया जा सकता है।

चूंकि अप्रार्थी श्रीमती भागुदेवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल ने अप्रार्थी पट्टाधारक शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल से उक्त पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसमें अप्रार्थी क्रेता श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल को कोई दोष नहीं है, परन्तु प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि जो मौके खाली पडी है का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचाई है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, तंवरी के हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि की अप्रार्थी क्रेता श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम,पेज नौ पर

श्री. वि. वि. वि.
शिवोही (पंच.)



जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल से प्रचलित वर्तमान बाजार दर अनुसार राशि वसूल की जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम पंचायत, तंवरी के हित में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, तंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- तंवरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि (जो पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.5.2017 के द्वारा अप्रार्थी श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल ने पट्टाधारक शांतिलाल पुत्र धनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल से क्रय की गई है) की वर्तमान प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि की गणना कर अप्रार्थी श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल को वर्तमान प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि ग्राम पंचायत, तंवरी में दो माह की अवधि में जमा करवाने हेतु ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा लिखित में सूचना पत्र जारी कर सूचना पत्र की अप्रार्थी श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल को व्यक्तिशः तामिल करवाई जावे। साथ ही, अप्रार्थी श्रीमती भागुदेवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना पत्र प्राप्ति के दो माह की अवधि में वर्तमान प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि ग्राम पंचायत, तंवरी में जमा करवाये। यदि श्रीमती भागु देवी पत्नि श्री देवाराम, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल द्वारा उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के दो माह की अवधि में ग्राम पंचायत, तंवरी में प्रचलित वर्तमान बाजार दर अनुसार राशि जमा नहीं करवाई जाती है, तो ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 को स्वतः ही निरस्त समझा जावे। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत, तंवरी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि श्री किशनाराम पुत्र धर्माजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल ने उक्त पट्टा संख्या 42 दिनांक 27.10.2014 की भूमि के पास ही बहुत बड़े भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतः ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा श्री किशनाराम पुत्र धर्माजी, जाति- पुरोहित, निवासी- चडुआल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय सुनाया गया।



(आशाराम डूडी) 08.10.2018

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही